Sl. No 6(R) 83 R-27878/DS(DM)/14

11

No. 25013/35/2014-PM-II
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PM Division)
....

Jaisalmer House, 26, Man Singh Road,
New Delhi-110011, dated the 12th May, 2014

To,

Shri Rakesh Yadav,
C/o Shri T.K. Ghosh
H.No. 16/181, Indira Colony,
Tarbahar Naka, Bilaspur,
Chhatisgarh-495001.

Subject: Information sought under the Right to Information Act, 2005.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 17.4.2014 received through RTI Section, MHA vide their Communication No.A.43020/01/2014-RTI dated 2nd May, 2014, on the subject noted above and to say that the aforesaid information is not available with this Division (PMR). All the CPIOs of MHA are being requested to provide this information to you directly, if available with them.

2. It is informed that Smt Veena Kumari Meena, Joint Secretary (PM), 26, Jaisalmer House, Mansingh Road, New Delhi, is the Appellate Authority.

AD(DM) 13/5

Yours faithfully,

12/5/14
(S.D. Sharma)
Director (PMR) & CPIO

Copy to All CPIOs of MHA as per list:- with the request to provide this information to the applicant directly, if available with them.

12/5/14
(S.D. Sharma)
Director (PMR) & CPIO

V-39/2014-NDMA(RTI)

CR No. 273410/Div(PMC) सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

R0 43-[illegible]/RTI/14 6/5

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 02/05/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ राकेश यादव का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ राकेश यादव के दिनांक 17/04/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ——— से ~~अंतरण द्वारा~~ दिनांक: 28/04/2014 को प्राप्त) को पी.एम. प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 29/04/2014 की रसीद सं. 29590 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

~~निदेशक (पी.एम.आर.)~~

~~नेहरू [illegible]~~

जैसलमेर हाउस, मानसिंह रोड,

नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/~~श्रीमती/सुश्री~~ राकेश यादव

पुत्र श्री टी.के. घोष

म.न. (C/O) 16/181, इंदिरा [illegible] कॉलोनी बारबाहर

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।) नाका, फिरोजपुर (पंजाब) [illegible] - 495001

Se 8/5/14

US (PM-2)

[illegible] 8/5

Sh. AI

Transfer to All State Police/UT

2458/RTI/MHA/2014
01/5/14.

13

Ministry of Home Affairs
28 APR 2014
5354/14

प्रति

श्री मान् केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
केन्द्रीय गृह मंत्रालय, भारत शासन
नई दिल्ली

विषय :– लोक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् जानकारी चाहने बाबत्।

श्री मान जी उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि भारत देश के जिन जिन राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में राज्य पुलिस संघ/ एसोसिएशन का प्रावधान है, तो कृपया उस प्रावधान के संबंध में जारी आदेशों की सत्यापित प्रति प्रदाय करने की अति विशेष कृपा करें।

State Police Association in States/UTs.

RTI

दिनांक :– 17.04.14

विनीत

Dir (PMR)

राकेश यादव
द्वारा श्री टी.के.घोष
मकान नं. 16/181
इंदिरा कॉलोनी,
तारबाहर नाका, बिलासपुर
छत्तीसगढ़–495001

संलग्न प्रति :–

10रू.का इण्डियन पोस्टल आर्डर, बतौर शुल्क।
22F 769552

ज.सं.प्र.(जारी)

सूचना का अधिकार/स्पीड पोस्ट

संख्या 40-05/2014/एनडीएम-II
भारत सरकार/गृह मंत्रालय
आपदा प्रबंधन - I अनुभाग
***

'सी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001
दिनांक : 15 मई, 2014

15 MAY 2014

सेवा में,

श्री राकेश यादव
द्वारा श्री टी. के. घोष
मकान नं.16/181, इंदिरा कॉलोनी
तारबाहर नाका, बिलासपुर-495 001
छत्तीसगढ़

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलबध कराने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर गृह मंत्रालय के दिनांक 12.05.14 के पत्र संख्या 25013/35/2014-पीएम-II का अवलोकन करें । उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है । संदर्भित पत्र दिनांक 13.05.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है ।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करना है कि आपके आवेदन में मांगी गई सूचना का संबंध इस अनुभाग से नहीं है । अतः संबंधित सूचना 'शून्य' समझी जाए ।

3. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी श्री जी.वी.वी. शर्मा, संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, 'सी' विंग, तीसरा तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001 हैं ।

भवदीय,

गौतम घोष

(गौतम घोष)
उप सचिव एवं के.ज.सू.अ.
फोन नं. 2343 8123

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री एस. डी. शर्मा, निदेशक (पीएमआर) एवं के.ज.सू.अ., गृह मंत्रालय, जैसलमेर हाउस, 26 मान सिंह रोड, नई दिल्ली-110 011 को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में ।